N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0189 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/09/2024 20:42 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 29/08/2024 **Date To (दिनांक तक):** 02/09/2024

**Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 10:50 बजे **Time To (समय तक):** 12:55 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/09/2024 **Time (समय):** 18:15 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/09/2024 20:42:38 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 370 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** BABULAL CHAUDHARY KA MAKAN, GANPATI RESIDENCY RAIPUR, JHALAWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):**

**District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ISHWAR CHAND

(b) Father's Name (पिता का नाम): LATE KARULAL

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1992 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | ROSHANBADI, RAIPUR, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | ROSHANBADI, RAIPUR, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA |

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRAHLAD KUMAR GOSWAMI | | पिता:GIRDHARILAL GOSWAMI | 1. DADIYAPATTI,AANDHI,JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 15,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय हालात इस प्रकार है मन् पुलिस निरीक्षक को दिनांक 29.08.2024 समय 10.50 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा विजय स्वर्णकार ने अपने कक्ष में बुलाकर बताया कि परिवादी श्री ईश्वर चन्द पुत्र श्री कारूलाल जाति मेघवाल उम्र 32 साल निवासी रोशनबाडी तहसील रायपुर जिला झालावाड़ ने श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील रायपुर जिला झालावाड़ में फौती इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है जिसमें फौत इन्तकाल दर्ज करने की एवज में परिवादी ईश्वर चन्द से श्री प्रहलाद कुमार गोस्वामी पटवारी पटवार हल्का कडोदिया तहसील रायपुर जिला झालावाड से 20000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। जिस पर सत्यापन करवाये जाने की निर्देश प्रदान किए गए जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री गोपाल लाल सहायक उप निरीक्षक को परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाये तथा उससे संपर्क कर शिकायत के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर परिवादी सें प्रार्थना पत्र प्राप्त करने व रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाये जाकर अवगत कराने के दिशा निर्देश दिये तथा मालखाने से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के निकलवाया जाकर श्री गोपाल लाल सउनि को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर आरोपी से होने वाली रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करवाने हेतु रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड पृथक सें मूर्तिब की गई, सायंकाल समय 7.30 पी.एम. पर श्री गोपाल लाल स.उ.नि. ने मन पुलिस निरीक्षक को जरिये वॉटस एप कॉल कर बताया मैं कोटा से रवाना होकर सांयकाल रायपुर पहुंचा था यंहा पर परिवादी सें प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उसको रिकॉर्डर देकर आरोपी सें रिश्वत मांग का सत्यापन हेतु रवाना किया था उसने वापस आकर बताया कि पटवारी जी ने मेरे काम के लिए 15000 रू. की मांग की हैं एंव 15000 रू. लेकर सोमवार को बुलाया है। तथा रिश्वत मांग की समस्त वार्ता रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई है, परिवादी का गावं तहसील रायपुर जिला झालावाड सें भी करीबन 20-22 किलोमीटर दूर हैं तथा बाद सत्यापन वह उसके गांव चला गया तथा मुझे आने में समय लग गया हैं रात्री में अधिक समय हो जाने के कारण मैं झालावाड ही रूक रहा हूं कल कार्यालय समय पर आकर आपको पूर्ण कार्यवाही सें अवगत कराऊंगा। दिनांक 30.08.2024 समय 01.10 पी.एम.पर श्री गोपाल लाल सउनि पूर्व का रवानाशुदा बाद सत्यापन कार्यवाही वापस मय प्रार्थना पत्र परिवादी श्री ईश्वर चन्द डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमेरी कार्ड के वापस आये, जिन्होंने सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड सोनी कंपनी का तथा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पेश किया तथा बताया कि चौकी से रवाना होकर कस्बा रायपुर जिला झालावाड़ पहुंचा जहां पर परिवादी श्री ईश्वर चन्द मिला जिसने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया जो इस प्रकार हैं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा शहर विषय-रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय अन्तर्गत निवेदन है कि मैं गांव रोशनबाडी का निवासी हूं, मेरे पिताजी स्वर्गीय कारूलाल जी के नाम पर 7 बिघा 2 बिस्वा करीब कृषि भूमि है। मेरे पिताजी का स्वर्गवास होने के बाद उक्त कृषि भूमि मेरे व मेरी चार बहनों के नाम पद चढ़ गयी है, मैं मेरी बहनों के नाम हटवाने के लिए पटवारी पी.के. गोस्वामी से मिला तो पटवारी जी ने 20000 रूपये की मांग की है, मैं पटवारी पी.के. गोस्वामी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, व उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं, पटवारी जी से मेरा पुराना कोई लेन देन नहीं है व ना ही कोई पुरानी रंजिश है। कार्यवाही करने की कृपा करें। श्री गोपाल लाल सउनि ने बताया कि परिवादी ईश्वर चन्द अनपढ़ हैं। परिवादी ईश्वर चन्द ने बताया कि मैंने मेरे गांव के देवेन्द्र सिंह से प्रार्थना पत्र लिखवाया है जिस पर मैंने हस्ताक्षर किए है। मैंने परिवादी श्री ईश्वर चन्द को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड के आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता संबंधी वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु सुपुर्द कर दिया था। इसके बाद हम आरोपी के बताये हुए स्थान गणपति रेजीडेन्सी रायपुर पहुंचे जहां आरोपी श्री प्रहलाद कुमार गोस्वामी पटवारी से परिवादी की जमीन का इन्तकाल खुलवाने व बहनों का नाम हटवाने के लिए वार्ता की थी। आरोपी श्री प्रहलाद कुमार गोस्वामी पटवारी द्वारा जमीन का इन्तकाल खोलने व बहनों का नाम हटाने की एवज में 15000 रूपये सोमवार दिनांक 02.09.2024 को लेकर आने के लिए कहा। परिवादी व आरोपी के बीच जो भी बात हुई है वो सरकारी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड में रिकॉर्ड हो गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा ईयर फोन लगाकर सुना गया तो सहायक उप निरीक्षक के कथनों की ताईद हुई। मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई

जावेगी। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को फाईल कवर में लगाया गया। फर्द प्राप्ति डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉयस रिकोर्डर मय मेमौरी कार्ड भी शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 01.09.2024 समय 07.00 पी.एम. पर परिवादी ईश्वर चन्द ने अपने साथी देवेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर से वॉट्सअप कॉल किया एवं बताया कि मैं कल पटवारी प्रहलाद कुमार गोस्वामी से मेरे काम के सिलसिले में मिलने जाउंगा। पटवारी प्रहलाद कुमार गोस्वामी मुझसे मेरे नामान्तरण खोलने की एवज में रिश्वत राशि लेगा, इसलिए आप कोटा से टीम लेकर रायपुर आकर मुझसे संपर्क करें, क्योंकि मेरे कोटा आने से कार्यवाही में देरी हो जायेगी। जिस पर श्री देशराज पुनि को स्वतंत्र गवाह पाबन्द किए जाने हेतु जरिये मोबाईल बताया गया तत्पश्चात श्री अभिषेक कानि. 197 ने जरिये मोबाईल मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे द्वारा श्री देशराज पु.नि. के आदेशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के कार्यालय में स्वतंत्र गवाह पाबन्द करवा दिये गये है जो प्रातः 7.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा उपस्थित आ जायेंगे। दिनांक 02.09.2024 समय 07.04 ए.एम पर परिवादी ईश्वर चन्द ने अपने साथी देवेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर से फोन करके बताया कि मेरा फोन में रिचार्ज नहीं होने से मेरे साथी के मोबाईल से फोन कर रहा हूं। मैंने ट्रेप कार्यवाही के लिए 15000 रूपये की व्यवस्था कर ली है। आपकी टीम के साथ रायपुर पहुंचने पर मेरे साथी के मोबाईल पर संपर्क करके मुझे सूचित कर देना। मेरे मोबाईल से फोन नहीं जा रहे है। आप मुझे मेरे साथी के मोबाईल नम्बर पर संपर्क कर लेना, कार्यवाही के समय मेरे साथ ही रहेंगे। समय 07.15 ए.एम. पर गवाह श्री हेमन्त कुमार शर्मा पुत्र श्री राकेश कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 34 साल निवासी मकान नम्बर ए 62 वर्धमान रॉयल सिटी, कुन्हाडी कोटा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा एवं श्री सीताराम रावल पुत्र श्री बजरंग लाल रावल जाति रावल उम्र 48 साल निवासी मकान नम्बर 03 शीतला माता मंदिर के पास, इटावा जिला कोटा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा पूर्व के पाबन्दशुदा कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। समय 09.10 ए.एम. पर मन्० पुलिस निरीक्षक ने श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 से मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलावाई जाकर प्राईवेट वाहन के डेश बोर्ड मे रखवाई गई। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री हेमन्त कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक, श्री सीताराम रावल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा, श्री देशराज पु.नि., श्री गोपाल लाल सउनि, श्री आशिक हुसैन सउनि, श्री नरेन्द्र सिंह हैडकानि 140, श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282, श्री अभिषेक कानि 197, श्री बबलेश कुमार कानि. 261, श्री अब्दुल सत्तार कानि 158, श्री तंवर सिंह कानि. चालक 506 मय ट्रेप बॉक्स, चार लेपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य ट्रेप सामग्री के एक सरकारी बोलेरो व एक प्राईवेट वाहन से रायपुर जिला झालावाड़ के लिए रवाना होकर समय 11.15 ए.एम. पर परिवादी के बताये स्थान आजमपुर का बरडा मेन रोड पर पहुंचे जंहा परिवादी श्री ईश्वचन्द मय अपने दो साथियों के मिला। परिवादी श्री ईश्वरचन्द पुत्र कारूलाल जाति मेघवाल उम्र 32 साल निवासी- रोशनबाडी, तहसील रायपुर जिला झालावाड ने श्री प्रहलाद कुमार गोस्वामी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 30 नोट कुल 15,000/- रूपये अपने पास से निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बर इस प्रकार हैं- क्र.सं. नोटों का विवरण नोटों के नम्बर 1. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 UW 814976 2. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9 GW 745736 3. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7 BC 792486 4. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3 RL 003317 5. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7 BM 031396 6. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 FA 756236 7. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4 GT 146407 8. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0 LD 918406 9. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9 MC 806936 10. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1 RA 580790 11. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9 LG 635993 12. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4 CM 010678 13. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9 TL 235956 14. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4 KQ 828492 15. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4 AG 427178 16. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1 CU 189376 17. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7 WD 182069 18. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3 EL 309799 19. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0 CF 073564 20. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1 ML 409805 21. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7 EQ 266974 22. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 KF 439124 23. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6 AN 794578 24. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7 EG 812904 25. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5 DN 446090 26. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9 DA 957704 27. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7 LP 595775 28. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0 AH 385611 29. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7 TN 155566 30. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3 QQ 633352 श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 से सरकारी वाहन बोलेरो के डेसबोर्ड से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया। परिवादी श्री ईश्वरचन्द की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री हेमंत कुमार से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं

मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये उक्त भारतीय मुद्रा के पांच- पांच सौ रूपये के तीस नोट कुल 15000 रूपये को परिवादी के पहनी हुई शर्ट की बांयी जेब मे श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 से सीधे ही रखवाये गये। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में गाडी में रखी पीने के पानी की बोटल से साफ पानी लिया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसे गवाहान् एवं परिवादी को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन होना बताया। उक्त रंगहीन घोल में श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 के हाथ की अंगुलियों को डालकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया को गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टांत देकर समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था एवं दृष्टांत में काम मे लिये गये डिस्पोजल गिलास को श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 के हाथां एवं ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाली शीशियां को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि निकालकर देवें। आरोपी से रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी श्री ईश्वरचन्द को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया जाकर हिदायत दी कि वक्त रिश्वत लेनदेन उसके एवं आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करे। श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 को कार्यालय हाजा के लिए रूखसत किया गया। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर गवाहान् व परिवादी को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान सम्बन्धितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 11.50 ए.एम. पर परिवादी के साथी श्री देवेन्द्र सिंह की कार से श्री गोपाल लाल स.उ.नि. परिवादी, देवेन्द्र सिंह, देवेन्द्र का अन्य साथी एवं श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197 को, सरकारी वाहन बोलेरा मय चालक तवंर सिंह के श्री देशराज पुलिस निरीक्षक मय श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140, श्री बबलेश कानि. 261 को आगे-आगे रवाना कर प्राइवेट वाहन सें मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री हेमंत कुमार शर्मा एवं श्री सीताराम व श्री आशिक हुसैन स.उ.नि. के ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, मैमोरी कार्ड आदि एवं दिनांक 29.08.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड हुई वार्ता के मैमोरी कार्ड सहित रायपुर के लिए रवाना होकर गणपती रेजीडेन्सी, रायपुर पहुंचे, जंहा परिवादी को हिदायत कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नये मेमौरी कार्ड के चालु करवाकर पैदल ही आरोपी के गणपती रेजीडेन्सी रायपुर स्थित पटवार कार्यालय के लिए रवाना किया गया। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के अपनी व वाहनों की उपस्थिती छुपाते हुए गणपति रेजीडेन्सी के मेन गेट के आसपास परिवादी के इशारे के इन्तजार में मुकिम हुये। समय 12.55 पी.एम. पर परिवादी श्री ईश्वरचन्द पुत्र कारूलाल जाति मेघवाल उम्र 32 साल निवासी- रोशनबाडी, तहसील रायपुर जिला झालावाड, बिना इशारा किये आरोपी के कार्यालय सें बाहर आया तथा थोडी दूर ही खडे हुये उसके गावं के व्यक्ति देवेन्द्र सिंह एव उसके साथ आये अन्य व्यक्ति सें बातें करते हुये मन् पुलिस निरीक्षक, चन्द्र कवंर के पास आया जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने पूछा तो बताया कि उन्होने पैसे गिनकर अपनी जेब में रख लिये थे बाद में जेब सें पैसे निकालकर दराज में रखे तथा आते-आते उन्होने दराज में सें पैसे निकालकर मुझे वापस दे दिये इसके बाद परिवादी सें रिकॉर्डर लेकर बन्द करवाया तथा परिवादी सें पूछा तो उसने बताया कि मैं रिश्वत की राशि 15,000 रू. लेकर पटवारी प्रहलाद कुमार गोस्वामी के पास गया जंहा पर कार्यालय में पटवारी जी के अलावा दो व्यक्ति ओर बैठे हुये थे, पटवारी जी उन दोनों व्यक्तियों सें बात करने के बाद मुझे इशारा किया जिस पर मै उनके पास गया तथा दिनांक 29.08.2024 के कहेनुसार 15000 रू. उनको अपनी शर्ट की जेब सें निकालकर दिये। पटवारी जी ने 15000 रू. को गिनकर अपनी पेंट की बांयी जेब में रख लिया तथा मुझसे मेरी बहनों आदि के बारे में बातचीत करने लग गये इसके बाद वंहा पर कुछ अन्य व्यक्ति आ गये, पटवारी जी ने उनसे बात की तथा उसके बाद मुझसें बात करते हुये उन्होने कहा कि जमीन में नहर वहर निकली रही हैं क्या जब मैने कहा कि हां तो उन्होने कहा कि ये नामांतरण इसमें क्लीयर हो जायेगा ना तो खुलेगा नहीं नामांतरण मैने फोन करके बोला हैं तब मैने पटवारी जी को कहा कि दो चार दिन ओर लगेंगे तब पटवारी जी ने अपनी पेंट की जेब सें पैसे निकालकर दराज में रखते हुए मुझसें कहा कि ये तो दो चार पैसे ले जाओ हो गया दो चार दिन में हो जायेगा मेरे पास इधर उधर हो जायेंगे यार तथा मुझे 15000 रू. वापस दे दिये तथा कहा कि दो चार दिन बाद आप आ जाओ फोन कर लेना तथा ओटीपी के लिए फोन को रिचार्ज करवा लेना, इस पर मैने कहा कि दो चार दिन गुरूवार शुक्रवार तब पटवारी जी ने कहा कि शुक्रवार को आ जाना, इस पर मैं बाहर आ गया। परिवादी के कहेनुसार आरोपी पटवारी ने रिश्वत की राशि अपने हाथ सें ग्रहण करके गिनकर अपनी पेंट की बायीं जेब में रखे है तथा शंका होने पर आरोपी ने अपनी पेंट की जेब सें वापस निकालकर परिवादी को दिये तथा शुक्रवार को आने के लिए कहा हैं, आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण कर ली गई थी, किन्तु शंका होने पर रिश्वत राशि वापस लौटा दी हैं, अतः रिश्वत लेनदेन की घटना घटित हो जाने के कारण मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के गांव के व्यक्ति देवेन्द्र एवं उसके साथी को वंहा

से जाने के लिए कहा तथा मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी ईश्वरचंद दोनो स्वतंत्र गवाह श्री हेमंत कुमार व श्री सीताराम रावल ट्रेप पार्टी के सदस्य, श्री देशराज, पुलिस निरीक्षक, श्री गोपाल लाल, स.उ.नि., श्री आशिक हुसैन, स.उ.नि., श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140, श्री बबलेश कानि. 261, श्री योगेन्द्र सिंह 282, श्री अभिषेक कानि 197., मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों व वस्तुओं के पैदल चलकर परिवादी की निशांदेही पर पटवारी के कार्यालय कक्ष में पहुंचे जंहा पर एक व्यक्ति कुर्सी पर सफेद शर्ट एवं नीली जिन्स पहने हुए बैठा था, जिसको मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर उससें उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रहलाद कुमार गोस्वामी पुत्र श्री गिरधारीलाल गोस्वामी, उम्र 28 साल निवासी- दादियापट्टी, पोस्ट धर्मपुरा तहसील आंधी जिला-जयपुर ग्रामीण, हाल पटवारी पटवार हल्का कडोदिया अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का चवण्डिया तहसील रायपुर जिला झालावाड बताया। तत्पश्चात प्रहलाद कुमार सें परिवादी सें 15,000 रू. लेकर गिनकर अपनी पेंट की जेब में रखने तथा बाद में वापस लौटाने के बारे में पूछा तो प्रहलाद कुमार ने कुछ भी बताने सें इन्कार कर दिया। चुंकि परिवादी के बताये अनुसार एवं रिकॉर्ड वार्ता को सुनने सें ज्ञात हुआ हैं कि आरोपी ने रिश्वत की राशि अपने हाथ सें ग्रहण कर गिनकर अपनी पेंट की बायीं जेब में रखे हैं, अतः आरोपी श्री प्रहलाद कुमार की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की, कमरे में रखे हुए केम्पर सें पानी लेकर दो डिस्पोजल गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी प्रहलाद कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित किया। रिश्वत राशि प्रहलाद कुमार ने गिनकर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रखी थी अतः पेंट का धोवन लेना आवश्यक होने से कमरे में रखे हुए केम्पर सें पानी लेकर एक नये डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया तत्पश्चात प्रहलाद कुमार की पहनी हुई पेंट का धोवन लेने सें पूर्व प्रहलाद कुमार को दूसरा पेंट पहनने के लिए दिया तथा उसकी पेंट का का धोवन लेने के लिए पेंट की बायीं जेब को उलटवा कर गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क P-1, P-2 अंकित किया। इसके पश्चात पेंट की जेब को सुखाकर, पेंट की जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उसको एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर सील चिट कर मार्क P अंकित करवा थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त समस्त हाथ धुलाई की कार्यवाही की वजह सबूत विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई। विडियो रिकॉर्डिंग को पृथक सें शामिल फाईल किया जावेगा। तत्पश्चात श्री प्रहलाद कुमार से परिवादी के कार्य से संबन्धित दस्तावेज के संबंध में पूछा तो कहा कि इसके पिताजी की जमीन में बहनों के हक त्याग सें संबंधित फाईल मेरे पास पडी हैं, जो श्री प्रहलाद कुमार ने अपनी दराज सें निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किया, फाईल में लगे हुये दस्तावेज निम्न प्रकार है - 1. श्रीमान तहसीलदार, तहसील रायपुर को संबोधित फौत इन्तकाल दर्ज करने का आदेश प्रदान करने बाबत प्रार्थना पत्र जो ईश्वरचन्द के हस्ताक्षशुदा है तथा जिस तहसीलदार (भू अभिलेख) रायपुर द्वारा दिनांक 18.07.2024 सें प्रेषित है, 2. दिनांक 18.07.2024 को श्री ईश्वचन्द की तरफ सें पेश शपथपत्र 50 रू. के स्टाम्प सहित, 3. कार्यालय ग्राम पंचायत कडोदिया की सरपंच आशा कुमार के हस्ताक्षशुदा लेटरहेड परिवादी के परिजनों सें संबंधित। 4. जमाबन्दी (प्रतिलिपि) खाता संख्या नया 80 तथा पुराना 66, 5. जमाबन्दी (प्रतिलिपि) खाता संख्या नया 34 व पुराना 32, 6. एक मृत्यु प्रमाणपत्र रूकमनी बाई का, 7. ईश्वरचन्द पुत्र श्री कारूलाल का आधारकार्ड की प्रति। 8. धापूबाई के आधारकार्ड की प्रति। 9. गीताबाई के आधार कार्ड की प्रति। 10.कलावती बाई के आधारकार्ड की प्रति। 11. कौशल्या के आधारकार्ड की प्रति। उक्त दस्तावेजों को वजह सबूत छायाप्रति करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी द्वारा ली गई रिश्वत राशि 15000 रू., जिनको आरोपी द्वारा गिनकर अपनी पेंट की जेब में रख लिया था तथा शंका होने पर परिवादी को वापस लौटा दिया था, को परिवादी से निकलवाकर स्वतंत्र गवाह श्री हेमंत कुमार शर्मा से गिनवाया गया तो वो पांच-पांच सौ रूपये के 30 नोट कुल 15000 रूपये थे। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों सें करवाया गया तो हूबहू मिलान हुआ, उक्त नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा नोटों को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात आरोपी सें पुनः तसल्ली देकर परिवादी सें रिश्वत राशि 15000 रू. की मांग करने व आज दिनांक 20.09.2024 को रिश्वती राशि लेकर गिनकर अपने पास रखने तथा बाद में शंका होने पर वापस परिवादी को लौटाने के संबंध मे ंपूछा तो बताया कि मेम मेने पैसे नहीं लिये हैं इन्होने मुझे जबरदस्ती पैसे देने की कोशिश की कि नामान्तण खोल दो लेकिन नामान्तरण प्रोसेस नहीं हो सकता क्योंकि इन्तकाल में हमारे पास राईट नहीं हैं दर्ज करने का ये मेरे पास आये तो मैने कहा कि ई मित्र पर दर्ज करने को फ्राईडे को आ जाओ फ्राईडे को काम हो जायेगा क्यांकि इसमें ऑलरेडी नामांतरण चल रहा हैं इन्होने किसी ओर के कहने से 91 की कार्यवाही का दबाव बना रहे थे जबकि उसमें 91 की कार्यवाही ही करना लीगल नहीं था क्योंकि वंहा बाडा पडा है। और ना

उनका कब्जा हैं जबकि उनके आपसी विवाद में 91 की कार्यवाही करवाना चाहते हैं इन्होने मुझे जबरदस्ती नामांतरण खुलवाने के पैसे दिये जबकि दो तीन आदमी और बैठे थे तो मेने कहा ये काई के पैसे हैं तो इन्होने कहा नामांतरण खुलवाने के तो मैने कहा नामांतरण नहीं खुलेगा नामांतरण खुलने की कार्यवाही शुक्रवार के बाद ही हो पायेगी। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने कहा कि गिनकर जेब में क्यों रखे तब प्रहलाद कुमार ने कहा कि जेब में क्या मैने हाथ में लगा लिया और हाथ इधर उधर लगाये तो। तब मन पुलिस निरीक्षक ने पूछा की जेब मे तब प्रहलाद कुमार ने कहा कि इन्होने कहा वो स्टाम्प वेण्डर को दे देना। तब मन पुलिस निरीक्षक ने प्रहलाद कुमार सें पूछा कि बताओ भई गिने भी हैं जेब में क्यों रखे तब परिवादी ने प्रहलाद कुमार की बात का खण्डन करते हुये कहा कि कुछ भी बोल रहे हैं हां मैने पैसे दिये इनको दो आदमी बैठे थे यंहा पर पैसे जेब में रख लिये मैने कहा गरीब आदमी हूं रहने दो तथा शुक्रवार को दो या तीन दिन बाद आ जाने के लिए कहा फिर जेब सें निकाल दराज में रख लिये फिर चलने लगा तो कहा पैसे रख लो तो मैने कहा गिर जायेंगे गरीब आदमी हूं। रिकॉर्ड वार्ता सुनने सें प्रकट हुआ हैं कि प्रहलाद कुमार ने परिवादी द्वारा दिये गये रूपये गिनकर अपने पास रख लिये थे फिर परिवादी सें उसके फौती इन्तकाल के संबंध में वार्ता की तथा करीबन 15-20 मिनट बाद परिवादी को ये कहकर वापस लौटा दिये कि मेरे पास सें इधर उधर हो जायेंगे तुम्हारा काम शुक्रवार को होगा इसलिए शुक्रवार को फोन करके आ जाना, स्पष्ट हैं कि आरोपी पहले तो आश्वस्त था इसलिए उसने 15000 रू. गिनकर अपने पास रख लिये तथा बाद में शंका होने पर उसने वापस परिवादी को लौटाया है। आरोपी के आवास की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया तथा रायपुर किराये के आवास की खाना तलाशी हेतु श्री देशराज पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी श्री ईश्वरचन्द के पिताजी के फौत होने पर परिवादी के पिताजी स्व. कारूलाल जी के नाम की 7 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि से परिवादी की बहनो का नाम जमीन सें हटवाने (हकत्याग) करवाने तथा इन्तकाल खुलवाने की एवज में प्रहलाद कुमार द्वारा 20,000 रू. मांगने तथा दिनांक 29.08.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय 15000 रू. सोमवार 02.09.2024 को लेने पर सहमत होने तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी से रिश्वती राशि 15,000 रू. प्रहलाद कुमार द्वारा अपने हाथ में लेकर गिनने के बाद अपनी पहनी हुई पेंट की बायीं जेब में रखने तथा शंका होने पर रिश्वत की रकम 15000 रू. अपनी जेब सें निकालकर परिवादी को वापिस लौटाने तथा आरोपी की हाथ धुलाई से उसके हाथों के धोवन का रंग गुलाबी आने तथा पेंट की बायीं जेब का रंग गुलाबी आने सें आरोपी प्रहलाद कुमार गोस्वामी पुत्र श्री गिरधारीलाल गोस्वामी, उम्र 28 साल निवासी- दादियापट्टी, पोस्ट धर्मपुरा तहसील आंधी जिला-जयपुर ग्रामीण, हाल पटवारी पटवार हल्का कडोदिया अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का चवण्डिया तहसील रायपुर जिला झालावाड का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। डिटेनशुदा आरोपी श्री प्रहलाद कुमार गोस्वामी को पृथक से जर्ये फर्द गिरफ्तार किया जावेगा। सम्पूर्ण सीजर एवं बरामदगी की कार्यवाही को मोबाईल में लगे हुये मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया, जिसकी फर्द जब्ती व डबिंग पृथक सें बनाई गई। समय 3.50 पी.एम. पर परिवादी श्री ईश्वरचन्द की निशांदेही पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका कसीद किया जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया, तत्पश्चात परिवादी व दोनों गवाहान के समक्ष दिनांक 29.08.2024 को परिवादी एवं आरोपी प्रहलाद कुमार गोस्वामी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जिसे कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, उक्त मैमोरी कार्ड को कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाकर श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को सरकारी लेपटोप सें कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल फाईल किया गया। समय 4.50 पी.एम. पर आरोपी प्रहलाद कुमार गोस्वामी के आवास की खाना तलाशी किये जाने के लिए श्री देशराज पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री हेमंत कुमार शर्मा एवं श्री सीताराम रावल मय कानि. श्री योगेन्द्र िंसह के रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान, मय आरोपी के अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु थाना रायपुर जिला झालावाड के लिए रवाना हुये जो समय 09.10 पी.एम. पर आरोपी श्री प्रहलाद कुमार गोस्वामी के आवास की खानातलाशी लेकर वापस आये। समय 9.20 पी.एम. पर परिवादी व दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी एवं आरोपी प्रहलाद कुमार गोस्वामी के मध्य हुई रिश्वत लेनदेन के समय हुई वार्ता, जिसे कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, उक्त मैमोरी कार्ड को कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाकर श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को सरकारी लेपटोप सें कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल फाईल किया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान के समक्ष प्रहलाद कुमार गोस्वामी को उसके व परिवादी श्री ईश्वर चन्द के मध्य दिनांक 29.08.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता तथा दिनांक 02.09.2024 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर एवं मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त वार्ताओं में प्रहलाद कुमार गोस्वामी की आवाज का मिलान हेतु राजस्थान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर से परीक्षण करवाया जाने के

लिए उसकी आवाज के नमूने के नोटिस दिया गया तो उसने अपनी आवाज का नमुना आवाज देने सें लिखित में मना किया। नोटिस नमुना आवाज को शामिल फाईल किया गया। समय 11.30 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री ईश्वरचन्द के पिताजी के फौत होने पर परिवादी के पिताजी स्व. कारूलाल जी के नाम की 7 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि से परिवादी की बहनो का नाम जमीन सें हटवाने (हकत्याग) करवाने तथा इन्तकाल खुलवाने की एवज में प्रहलाद कुमार द्वारा 20,000 रू. मांगने तथा दिनांक 29.08.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय 15000 रू. सोमवार 02.09.2024 को लेने पर सहमत होने तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी से रिश्वती राशि 15,000 रू. प्रहलाद कुमार द्वारा अपने हाथ में लेकर गिनने के बाद अपनी पहनी हुई पेंट की बायीं जेब में रखने तथा शंका होने पर रिश्वत की रकम 15000 रू. अपनी जेब सें निकालकर परिवादी को वापिस लौटाने तथा आरोपी की हाथ धुलाई से उसके हाथों के धोवन का रंग गुलाबी आने तथा पेंट की बायीं जेब का रंग गुलाबी आने सें आरोपी प्रहलाद कुमार गोस्वामी पुत्र श्री गिरधारीलाल गोस्वामी, उम्र 28 साल निवासी- दादियापट्टी, पोस्ट धर्मपुरा तहसील आंधी जिला-जयपुर ग्रामीण, हाल पटवारी पटवार हल्का कडोदिया अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का चवण्डिया तहसील रायपुर जिला झालावाड का कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया गया है। चूंकि इस संबंध मे आरोपी से अनुसंधान किया जाना शेष है, आरोपी प्रभावशाली है, जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गवाहों को डरा धमका कर या अन्य तरीके से प्रभावित कर सकता है एवं अनुसंधान मे विपरित प्रभाव डाल सकता है, अतः उपरोक्त कारणों एवं आरोपी की न्यायालय मे उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु गिरफ्तारी आवश्यक होने से आरोपी को गिरफ्तारी के उपरोक्त कारणों एवं संवैधानिक अधिकारां से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सीताराम रावल कनिष्ठ सहायक द्वारा ली गई। जामा तलाशी में आरोपी से कोई वस्तु दस्तयाब नहीं हुईं। गिरफ्तारी की सूचना कहे अनुसार उसके मित्र हरिओम पुत्र श्री दीवानसिंह निवासी धौलपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का दिवलखेडा जिला झालावाड़ मोबाईल नम्बर 7014667169 को दिलवाई गई। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द गिरफ्तारी को शामिल पत्रावली किया गया। समय 11.45 पी.एम. पर उपरोक्त गवाहान एंव परिवादी श्री ईश्वरचन्द के समक्ष आरोपी प्रहलाद कुमार गोस्वामी एवं परिवादी के मध्य दिनांक 29.08.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 02.09.2024 को हुई रिश्वत लेन देन वार्ता जिनको परिवादी द्वारा पृथक-पृथक मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, उक्त रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेन देन वार्ता की हेशबेल्यू निकाल कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेन देन वार्ता के मैमोरी कार्ड पृथक-पृथक जर्ये डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर श्री योगेन्द्र सिहं कानि 282 से लेपटॉप में कनेक्ट करवाकर कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं को SanDisk Cruzer Blade 32 GB कम्पनी के पेन ड्राईव में पेस्ट किया गया। जिसमे से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज के लिये व एक पेन ड्राईव आरोपी के लिये पृथक-पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर किये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे रखकर शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर मे लगे हुऐ दोनों मेमोरी कार्ड्स SanDisk Ultra 32 GB micro SDHC-I को निकालकर कवर मे रखकर कपडे की थैली मे पृथक-पृथक सील्ड मोहर किया गया, फर्द डबिंग तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, तत्पश्चात सीजर की कार्यवाही को जर्ये मोबाइल SanDisk Ultra 32 GB micro SDHC-I कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, उक्त मैमोरी कार्ड को लेपटॉप में श्री योगेन्द्र सिहं कानि 282 से अटैच करवाकर उक्त रिकॉर्डिगं की हेशबेल्यू निकाल कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उक्त रिकॉर्डिगं को मैमोरी कार्ड से जर्ये लेपटॉप SanDisk Cruzer Blade 32 GB कम्पनी के 3 पेन ड्राईव में पेस्ट किया गया। जिसमे से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये व एक पेन ड्राईव आरोपी के लिये पृथक-पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर किये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे रखकर शामिल पत्रावली किया गया। मोबाईल मे लगे हुऐ मेमोरी कार्ड SanDisk Ultra 32 GB micro SDHC-I को निकालकर कवर मे रखकर कपडे की थैली मे पृथक-पृथक सील्ड मोहर किया गया, उक्त की फर्द डबिंग तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 03.09.2024 समय 12.45 ए.एम.पर परिवादी श्री ईश्वरचन्द को मौके सें रूखसत कर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान हमराही जाब्ता, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री प्रहलाद कुमार गोस्वामी, शील्डशुदा धोवन की शीशियां 6, रिश्वत राशि 15,000 रू, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर, रिश्वत सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेनदेन के समय का मैमोरी कार्ड, समस्त सीजर की रिकॉर्डिंग में काम में लिया गया मैमोरी कार्ड, पेनड्राईव एवं समस्त जब्तशुदा सामान मय ट्रेप बॉक्स लेपटोप प्रिन्टर के पृथक-पृथक वाहनों सें एसीबी चौकी कोटा के लिए रवाना होकर एसीबी चौकी कोटा पहुंचे जब्तशुदा माल को जमा मालखाना करवाया गया तथा स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय सें रूखसत किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी श्री ईश्वरचन्द के पिताजी के फौत होने पर परिवादी के पिताजी स्व. कारूलाल जी के नाम की 7 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि से परिवादी की बहनो का नाम जमीन सें हटवाने (हकत्याग) करवाने तथा इन्तकाल खुलवाने की एवज में प्रहलाद कुमार द्वारा 20,000 रू. मांगने तथा दिनांक 29.08.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय 15,000 रू. सोमवार 02.09.2024 को लेने पर सहमत होने तथा दौराने

ट्रेप कार्यवाही परिवादी से रिश्वती राशि 15,000 रू. प्रहलाद कुमार द्वारा अपने हाथ में लेकर गिनने के बाद अपनी पहनी हुई पेंट की बायीं जेब में रखने तथा शंका होने पर रिश्वत की रकम 15000 रू. अपनी जेब सें निकालकर परिवादी को वापिस लौटाने तथा आरोपी की हाथ धुलाई से उसके हाथों के धोवन का रंग गुलाबी आने तथा पेंट की बायीं जेब का रंग गुलाबी आने सें आरोपी प्रहलाद कुमार गोस्वामी पुत्र श्री गिरधारीलाल गोस्वामी, उम्र 28 साल निवासी- दादियापट्टी, पोस्ट धर्मपुरा तहसील आंधी जिला-जयपुर ग्रामीण, हाल पटवारी पटवार हल्का कडोदिया अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का चवण्डिया तहसील रायपुर जिला झालावाड का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी श्री प्रहलाद कुमार गोस्वामी को जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया हैं। अतः आरोपी प्रहलाद कुमार गोस्वामी पुत्र श्री गिरधारीलाल गोस्वामी, उम्र 28 साल निवासी- दादियापट्टी, पोस्ट धर्मपुरा तहसील आंधी जिला-जयपुर ग्रामीण, हाल पटवारी पटवार हल्का कडोदिया अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का चवण्डिया तहसील रायपुर जिला झालावाड के विरूद्ध जुर्म धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। (चन्द्र कंवर) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। .........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमति चन्द्र कंवर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का आरोपी श्री प्रहलाद कुमार गोस्वामी पुत्र श्री गिरधारीलाल गोस्वामी, उम्र 28 वर्ष, निवासी दादियापट्टी, पोस्ट धर्मपुरा, तहसील आंधी जिला जयपुर ग्रामीण, हाल पटवारी पटवार हल्का कडोदिया, अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का चवण्डिया, तहसील रायपुर जिला झालावाड़ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री राजपाल सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 58 पर अंकित है। (ज्ञानसिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 1023-26 दिनांक 04.09.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2 श्रीमान जिला कलक्टर, झालावाड़। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज., जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** RAJPAL SINGH TANWAR **Rank (पद):** निरीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)**
**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 0[illegible]/2024 [illegible]9

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 01/07/1995 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)